स.ए. 20011/4/2017-हिंदी/Hindi
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्डसं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 14 जनवरी 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2020 की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही की बैठक का आयोजन दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को 1230 बजे सम्मेलन कक्ष, तृतीय तल, के.स.का. परिसर, ब्लॉक सं.-9 में श्री आनन्द स्वरूप (भा.पु.से.), निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कार्यसूची के अनुसार चर्चा की गई और निदेशालय मुख्यालय एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, निदेशालय के अनुभागों एवं सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों की सूचना, रिकार्ड एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित किया जाता है।

3. अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर यथापेक्षित कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को एक माह के भीतर अवगत करवा दें।

4. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : **011-24361588**
ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक : यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।
3. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
4. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
5. स.नि. सूचना और प्रौद्योगिकी- विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. निदेशक महोदय के प्रधान वैयक्तिक सचिव/अपर निदेशक (मुख्यालय/प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव।

2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)

<u>विषय</u>: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिसम्बर 2019) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2019 तिमाही की बैठक श्री आनन्द स्वरूप, (भा.पु.से.), निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 19 दिसम्बर 2019 को 1230 बजे निदेशालय (मुख्यालय) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री आनन्द स्वरूप, भा.पु.से., निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री देवेन्द्र सिंह, (भा.दू.से.), अपर निदेशक (मुख्यालय)	सदस्य
3.	श्री आर. के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (समन्वय एवं वस्तु प्रबंधन)	सदस्य
6.	श्री विक्रम सिंह पंवार, उप निदेशक (संचार)	सदस्य
7.	श्री आर के सिंह, सहायक निदेशक (भंडार)	सदस्य
8.	श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय)	सदस्य
9.	श्री राम प्रसाद, सहायक निदेशक (सी.पी.आर.टी.आई.)	सदस्य
10.	श्री लक्ष्मी शंकर यादव, सहायक निदेशक (सं.के.)	सदस्य
11.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव
12.	श्री कुलदीप के रावत, लेखा अधिकारी	सदस्य
13.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। निदेशक महोदय ने बैठक में उपस्थिति सदस्यों की कम संख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेना चाहिए और यदि कोई किसी आवश्यक कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उन्हें समिति के सदस्य सचिव को इसकी पूर्व जानकारी देनी चाहिए और सदस्य सचिव को चाहिए इस बात की जानकारी समिति को दें।

तत्पश्चात बैठक मे कार्यसूची के अनुसार निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए:-

<u>मद संख्या 1</u>. <u>पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि</u>. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही की बैठक दिनाँक 04 सितम्बर 2019 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। बैठक की कार्यवृत्त सभी सदस्यों, मुख्यालय के सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों को उनके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी थी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की।

मद संख्या 2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा. सदस्य सचिव ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट पढ़कर सुनाया। अनुपालन रिपोर्ट के बिंदुओं की समीक्षा करने पर पुन: निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) **अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों में राजभाषा हिंदी की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला.** दिसम्बर 2019 की तिमाही में सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों ने अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया और इसकी सूचना निदेशालय को प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से करते रहेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई. सभी अ.रा.पु.बे स्टेशन/हिंदी अनुभाग।

(ख) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता.** समिति को अवगत कराया गया कि बचे हुए सात केन्द्रों में से रायपुर, दमन और देहरादून ने नराकास की सदस्यता प्राप्त कर ली है। ईटानगर, लखनऊ, हैदराबाद और जम्मू केन्द्र ने नराकास की सदस्यता प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि ये चारों केन्द्र नराकास की सदस्यता प्राप्त करने हेतु अपने संबंधित नराकास से नियमित रूप से पत्राचार करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई. अ.रा.पु.बे स्टेशन हैदराबाद/ईटानगर/लखनऊ/जम्मू।

(ग) **कार्मिकों का हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान.** समिति को अवगत कराया गया कि निदेशालय मुख्यालय सहित सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी ज्ञान से संबंधित अद्यतन डाटा प्राप्त हो चुका है और इसका डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए प्राप्त डाटा को अद्यतन करके जिन कामिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है उनकी एक सूची बनायी जाए ताकि उन्हें प्रशिक्षण में भेजने संबंधी कार्रवाई की जा सके।

अनुवर्ती कार्रवाई. राजभाषा अनुभाग

(घ) **कम्प्यूटरों में यूनीकोड (माइक्रोसोफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल) प्रणाली लोड करना.** समिति को अवगत कराया गया कि निदेशालय के सभी अनुभागों एवं अधिकारियों के कम्प्यूटरों में हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की।

(ङ) **के.पु.रे.प्र.सं. में कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम.** के.पु.रे.प्र.सं. द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2019 तक और पुन: दिनांक 02 दिसम्बर से 06 दिसम्बर 2019 तक दो सत्र में आयोजित पांच दिवसीय **'कार्यालय कार्य (हिंदी में)'** के प्रशिक्षण कार्यक्रम में निदेशालय के कुल 12 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या-क्या प्रशिक्षण दिया गया? इस पर संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने जानकारी दी की यह प्रशिक्षण सी.पी.आर.टी.आई. और हिंदी अनुभाग द्वारा संयुक्त रूप मे चलाया जाता है जिसमें प्रशिक्षार्थियों को कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए और कार्यालयी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में कम संख्या मे नामांकन प्राप्त होने पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि यह प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाए। महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रशिक्षण के लिए 15 लोगों की क्षमता है, तो उतनी संख्या में कर्मचारियों को इसमें भाग लेना चाहिए और अनुभाग अधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग से कर्मचारियों को नामित करना चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाई. सभी अनुभाग अधिकारी/हिंदी अनुभाग/के.पु.रे.प्र.सं.।

इस मद पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अन्य निम्नलिखित निर्णय दिए :-

1. **कम्प्यूटर लैब**. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि सी.पी.आर.टी.आई. में स्थापित कम्प्यूटर प्रयोगशाला में कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ायी जाए, जिससे की अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
2. **कलैंडर समिति**. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि निदेशालय के वार्षिक कलैंडर को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और भारत सरकार द्वारा उठाए गए लाभकारी कदमों को कलैंडर में शामिल किया जाए। जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, हिंदी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, और फिट इंडिया मूवमेंट आदि जैसे स्लोगन बनाए जाएं और केलैंडर में निदेशालय की उपलब्धियों और केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित पी.टी. एवं प्रशिक्षण आदि के फोटो भी लगाएं जाएं।

(च) वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना. इस विषय पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(अ) हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देना. समिति को अवगत कराया गया कि के.पु.रे.प्र.सं. द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षणों में व्याख्यान हिंदी /द्विभाषी माध्यम में दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह अच्छा प्रयास है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 70 प्रतिशत प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी माध्यम से दिया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई. केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान।

(ब) अं.रा.पु.बे. केन्द्रों का राजभाषाई निरीक्षण. इस वर्ष अभी तक 12 केन्द्रों - चंडीगढ़, मुंबई, गांधीनगर, दमन, पटना, रांची, कोलकाता, पोर्टब्लेयर, पुद्दुचेरी, भुवनेश्वर, जयपुर और चैन्नई का निदेशालय के अधिकारियों द्वारा राजभाषाई निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार लगभग 38 प्रतिशत अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है और 25 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। इस विषय पर चर्चा करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि किसी भी निरीक्षण या मुआयना का परिणाम प्राप्त करने के लिए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि निरीक्षण का औचित्य सार्थक सिद्ध हो।

अनुवर्ती कार्रवाई. सभी निरीक्षित स्टेशन/राजभाषा अनुभाग

(स) वेबसाइट का द्विभाषीकरण. समिति को अवगत कराया गया कि वेबसाइट के द्विभाषीकरण हेतु गठित अधिकारियों की समिति की देखरेख में वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी सामग्री का हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि हिंदी अनुवाद के पाठ को शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर इस कार्य को पूरा किया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई. आई.टी./हिंदी अनुभाग

(द) प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड लगाना. समिति के ध्यान में यह बात लाई गई कि निदेशालय के प्रवेश द्वार के लॉबी में एक एल.ई.डी. स्क्रीन लगा दिया गया है और इसमें **'आज के विचार'** एवं निदेशालय की उपलब्धियों से संबंधित जानकारी डिस्पले की जा रही हैं। साथ ही समिति को यह भी बताया गया कि निदेशालय भवन के बाहर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड लगाने के लिए बिडिंग की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि जिस स्थान पर डिस्पले लगाया जाना है, उस स्थान की पूर्व अनुमति सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्राप्त कर ली जाए ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

अनुवर्ती कार्रवाई. आई.टी./क्रय

(छ) <u>हिंदी पखवाड़ा-2019 का आयोजन</u>. समिति के ध्यान में यह बात लाई गई कि निदेशालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 06 सितम्बर 2019 से 20 सितम्बर 2019 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशालय मुख्यालय में कार्यक्रम के अनुसार हिंदी टिप्पण/आलेखन, निबंध और हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 20 सितम्बर 2019 को समापन समारोह के दौरान निदेशक महोदय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले और प्रत्येक प्रतियोगिता में तीन-तीन प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र सहित नकद पुरस्कार भी दिए गये। इस दौरान एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा विभाग से अतिथि वक्ता को व्याख्यान हेतु बुलाया गया था। इस प्रकार निदेशालय मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा हर्षोल्लास से आयोजित किया गया जिसमें निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

(ज) <u>कवि सम्मेलन</u>. हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाला कवि सम्मेलन कतिपय कारणवश स्थगित कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि कवि सम्मेलन कार्यसूची में रखा जाए और इसे केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. सी.पी.आर.टी.आई./हिंदी अनुभाग

(झ) <u>राजभाषा की चल बैंजंती पुरस्कार योजना</u>. निदेशक महोदय ने इच्छा जताई थी कि राजभाषा हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले अनुभागों एवं अं.रा.पु.बे. केन्द्रों के लिए **'चल बैजंती शील्ड'** योजना या इसी तरह की कोई अन्य योजना लागू की जानी चाहिए। सदस्य सचिव ने अवगत किया कि यह कार्य प्रक्रियागत है तथा इस बाबत निर्धारित मांनदंड का प्रारूप बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि इसके लिए आवश्यक मानदंड तैयार किए जाएं और यदि कोई मदद की आवश्यकता है तो इसके लिए आई.टी.बी.पी. मुख्यालय के राजभाषा अधिकारियों से सम्पर्क किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि इस प्रकार की योजना सुरक्षा बलों में बहुत पहले से ही चलायी जा रही है।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. हिंदी अनुभाग

(ञ) <u>हिंदी पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव</u>. सदस्य सचिव ने अवगत किया कि हिंदी पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिस पर अपर निदेशक (मुख्यालय) द्वारा कुछ जानकारियां मांगी गयी हैं यह कार्य प्रक्रिया में है। साथ ही उन्होंने सूचित किया कि संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, राजभाषा प्रकोष्ठ के 23 जुलाई 2019 के पत्र संख्या ए- 110204/02/2018-हिंदी (विविध) के अंतर्गत इस निदेशालय में एक उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), 03 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (पहले वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) तथा 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (पहले कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) का पद सृजित करने की संस्तुति प्राप्त हुई है। निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि मुख्यालय में हिंदी पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव बनाया जाए।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. हिंदी अनुभाग/प्रशासन अनुभाग

(ट) समिति को सूचित किया गया कि पिछली तिमाही में लिए गए निर्णय के अनुसरण में श्री के. साहा, सहायक निदेशक (आई.टी. व भू.व.भ.) को राजभाषा विभाग द्वारा संचालित पांच दिवसीय **'कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण'** कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।

(ठ) श्री एम.एस.एन. स्वामी, अपर निदेशक (प्रचालन) को हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने संबंधी निर्णय पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि स्वामी जी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है या नहीं इसकी जांच के लिए उन्हें हिंदी में एक लेख या कविता आदि लिखनी होगी और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में समिति के सामने उनके द्वारा यह लेख पढ़ा जाएगा और उस लेख को पढ़ने के बाद समिति में सर्वसम्मति से

यह निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है या नहीं। उसके बाद ही उन्हें हिंदी प्रशिक्षण में भेजने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

अनुवर्ती कार्रवाई. अपर निदेशक (प्रचालन)

मद संख्या 3. **राजभाषा हिंदी की पिछली (सितम्बर 2019) तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ो पर चर्चा**.

(क) **हिंदी पत्राचार**. बैठक में मुख्यालय की सितम्बर 2019 तिमाही की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से समीक्षा की गई और अनुभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि निदेशालय का हिंदी पत्राचार **'क'** क्षेत्र को 42.25 प्रतिशत, **'ख'** क्षेत्र को 47.97 प्रतिशत तथा **'ग'** क्षेत्र को 34.36 रहा, जोकि लक्ष्य से बहुत कम है। मुख्यालय के हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत एवं **'ग'** क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित है। तिमाही रिपोर्ट पर अनुभागवार चर्चा करने पर पाया गया कि सामान्यत: सभी अनुभागों को हिंदी का पत्राचार बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मुख्यालय के भंडार, सी.पी.आर.टी.आई, समन्वय एवं पोलनेट हब अनुभाग को हिंदी पत्राचार बढ़ाने की दिशा में विशेष पहल करने की आवश्यकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे और अगली तिमाही के लिए निदेशालय के हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने का लक्ष्य 60 प्रतिशत होगा, जिसे सभी अनुभाग हासिल करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अनुभाग।

(ख) **सी.पी.आर.टी.आई. के आंकड़ो पर चर्चा**. सी.पी.आर.टी.आई. के हिंदी पत्राचार संबंधी आंकडों में कतिपय विसंगतियों के संबंध में निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि आंकडे भेजने से पहले सी.पी.आर.टी.आई. के संबंधित अधिकारी इसे चेक करें तथा सही-सही आंकडें प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अनुवर्ती कार्रवाई- सी.पी.आर.टी.आई.।

(ग) **धारा 3 (3) का अनुपालन**. निदेशालय द्वारा धारा 3 (3) का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। पिछली तिमाही में धारा 3 (3) के अंतर्गत कुल 392 कागजात जारी किए गए थे और ये सभी हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं तथा इसके लिए जांच बिंदु क्या है और यदि जांच बिंदु नहीं है तो इसके लिए एक जांच बिंदु बनाया जाए और ये कागजात निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाने चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा)।

(घ) **हिंदी में टिप्पण/आलेखन**. इस पर विस्तार से समीक्षा करने पर पाया गया कि निदेशालय द्वारा सितम्बर 2019 तिमाही में 43.93 प्रतिशत टिप्पणी हिंदी में लिखी गई हैं, जो पिछली तिमाही से 8.28 प्रतिशत अधिक है। लेकिन यह भी लक्ष्य से बहुत कम है। लक्ष्य 75 प्रतिशत है। निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी अधिकांश टिप्पणी हिंदी में ही लिखेंगे। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अगली तिमाही के लिए हिंदी टिप्पणी के लिए 60 प्रतिशत का लक्ष्य रहेगा।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अनुभाग।

(ड़) **पत्राचार की प्रतिशतता के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों पत्रों को शामिल करना**. सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता की गणना करते समय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निष्पादित प्रशासनिक और तकनीकी दोनों ही पत्रों को प्रतिशतता की गणना करते समय इसमें शामिल करना चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अनुभाग।

मद संख्या 4. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20 में निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा. बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्र 2019-20 में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी और इस विषय पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(क) **हिंदी पत्राचार**. इस मद पर मद संख्या 3 (क) में आवश्यक निर्णय ले लिया गया है।
(ख) फाइलों में हिंदी में टिप्पणी. इस मद पर मद संख्या 3 (घ) में आवश्यक निर्णय ले लिया गया है।

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अन्य मदों पर चर्चा करने पर समिति में निर्णय लिया गया कि निदेशालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

मद संख्या 5. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा. इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों से सुझाव मांगे और सदस्यों ने अपने सुझाव निम्नलिखित प्रकार से दिए :-

सदस्यों के सुझाव/प्वाइंट.

(क) श्री देवेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय) ने सुझाव दिया कि हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए पत्र के शीर्ष में **"हिंदी का सम्मान-राष्ट्र का सम्मान"** जैसा प्रचार-वाक्य लिखा जाना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्णय लिया कि ऐसा ही करना चाहिए और साथ ही अधिकारियों को डी.ओ. लेटर हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को स्वंय हिंदी में काम करके अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

(ख) श्री आर. के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) का सुझाव था कि हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तिमाही में एक-दो लक्ष्य रखते हुए लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए। जैसे- इस तिमाही में छुट्टी संबंधी सभी पत्राचार हिंदी में करने का लक्ष्य।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि इसके लिए किसी विशेष मद को लक्ष्य में नहीं रखा जा सकता, सभी पत्राचार हिंदी में किए जा सकते हैं और अगली तिमाही के लिए हिंदी पत्राचार एवं फाइलों पर हिंदी टिप्पणी का लक्ष्य कम से कम 60 प्रतिशत होगा। सभी अधिकारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल करेंगे।

(ग) श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (समन्वय) का सुझाव था कि सप्ताह में दो दिन पूरा काम हिंदी में किया जाना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने स्पष्ट किया कि दो दिन ही नहीं सभी दिन हिंदी में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शित करते हुए कहा कि सप्ताह में दो दिन एक घंटा के लिए सभी अधिकारी इक्कठे होकर बातचीत हिंदी में करें, हिंदी की गोष्ठी रखें और उसमें सारी चर्चाएं हिंदी में ही करें और यह शर्त रखें कि जो अधिकारी हिंदी में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उस दिन के जलपान का पूरा खर्च उस अधिकारी को देना होगा।

(घ) डॉ. आर. के. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) का सुझाव था कि हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों को कारगर पहल करना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम हिंदी भाषा में करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल करनी चाहिए।

(इ) श्री एल एस यादव, सहायक निदेशक (संचार केन्द्र) का सुझाव था कि **'ग'** क्षेत्र के अधिकारियों के साथ हिंदी में बात करनी चाहिए और सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के लिए हिंदी में नेमी टिप्पणी लिखी जानी चाहिए तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि हिंदी में लिखना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि आपस में हिंदी में ही बात करनी चाहिए और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र ही नहीं सभी अनुभागों में भी नेमी टिप्पणी और कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि सभी पत्र हिंदी में लिखी जानी चाहिए।

(च) श्री कुलदीप रावत, लेखा अधिकारी का सुझाव था कि कर्मचारियों को हिंदी टिप्पणी लिखने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाना चाहिए, जिससे की वे फाइलों में हिंदी टिप्पणी लिख सकें।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण देना अच्छी बात है और निर्देश दिया कि जिसे प्रशिक्षण दिया जाना है, उनकी पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(छ) श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय) का सुझाव था कि निदेशालय की एक पत्रिका प्रकाशित की जानी चाहिए जिसमें पाठकों के लिए रूचिकर कहानी एवं कविता आदि छापी जा सके। इस पर अपर निदेशक (मुख्यालय) ने बताया कि निदेशालय की पत्रिका के प्रकाशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से लेख आदि मांगे गए थे लेकिन कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ।

निर्णय/स्पष्टीकरण. इस विषय पर विस्तार से विचार-विर्मश करने पर निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि निदेशालय की एक पत्रिका प्रकाशित की जानी चाहिए। इस पत्रिका में निदेशालय की गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी.पी.आर.टी.आई. की गतिविधियों, विभाग के तकनीकी विषयों आदि का समावेश किया जाना चाहिए। निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि पत्रिका का प्रकाशन अपर निदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा की जाएगी और इसका प्रकाशन संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सी.पी.आर.टी.आई. में किया जाएगा।

कार्रवाई. सी.पी.आर.टी.आई.।

(ज) श्री राम प्रसाद, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) का सुझाव था कि हिंदी की वाद-विवाद प्रतियोगिता का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि सी.पी.आर.टी.आई. में संचालित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी की वाद-विवाद प्रतियोगिता को एक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया जाए और इसके लिए प्रश्न-पत्र में कुछ अंक भी रखे जाएं।

कार्रवाई. सी.पी.आर.टी.आई.।

(झ) श्री आर के सिंह, सहायक निदेशक (भंडार एवं समन्वय) का सुझाव था कि जिस अनुभाग का हिंदी पत्राचार अधिक होता है उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने जानकारी दी कि फिलहाल किसी भी अनुभाग का हिंदी पत्राचार अच्छा नहीं है। आगामी तिमाही के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 60 प्रतिशत रखा गया है, यदि कोई अनुभाग 70 प्रतिशत हिंदी पत्राचार करता है तो उसे पुरस्कृत किया जा सकता है।

(ञ) श्री वी.एस. पंवार, उप निदेशक (संचार) का सुझाव था कि फाइलों में जिस अनुभाग की हिंदी टिप्पणी अच्छी हो, उसे तिमाही बैठक में पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने जानकारी दी कि वर्तमान में किसी भी अनुभाग की हिंदी टिप्पणी का प्रतिशत लक्ष्य के मुताबिक नहीं है। आगामी तिमाही में जिस अनुभाग का फाइलों में हिंदी टिप्पणी 70 प्रतिशत से अधिक होगी उस अनुभाग को पुरस्कार दिया जा सकता है।

(ट) श्री घन श्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का सुझाव था कि निदेशालय में हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों के अलावा अन्य भारतीय भाषा जैसे-मराठी, गुजराती, बंगाली व पंजाबी भाषा के क्षेत्रीय समाचार पत्र भी मंगवाए जाने चाहिए।

निर्णय/स्पष्टीकरण. निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली और गुजराती आदि क्षेत्रीय समाचार पत्र भी मंगवाए जाएं।

(ठ) श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तरफ से कोई सुझाव नहीं होने पर निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के संबंध में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक अगली तिमाही की बैठक में तीन सुझाव देंगे।

अध्यक्ष महोदय के प्वाइंट.

(क) अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि तिमाही बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। यदि छुट्टी या किसी आवश्यक कारणवश कोई सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो इसकी पूर्व सूचना सदस्य सचिव को दी जानी चाहिए और बैठक में इसकी जानकारी समिति को दी जानी चाहिए।

(ख) अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी सदस्य अपने-अपने स्तर पर अनुपालन करेंगे और हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

अंत में कोई बिंदु नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त करने की घोषणा की।

(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)